न्ययालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण क0............/2012

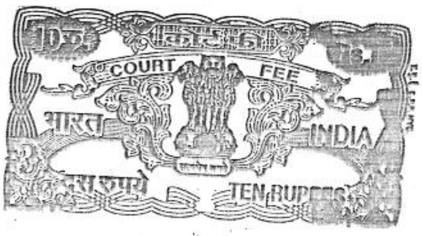

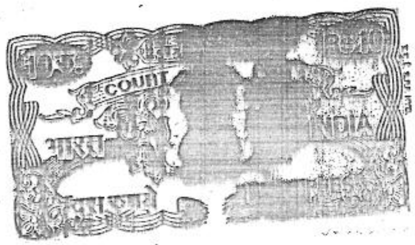

जग्गू चमार पिता श्री रामजियावन चमार उम्र 70 वर्ष पेशा कृषि निवासी गांधीग्राम रामपुर चौरासी थाना सिविल लाईन सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0..................निगराकार/अनावेदक क0 1

बनाम

1– झिंगुरी उर्फ दुअसिया पत्नी श्री मनोहर चमार उम्र 73 वर्ष पेशा गृहकार्य निवासी माडा टोला तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0

2– श्रीमती रामसखिया पत्नी शंकरशरण उम्र 55 चर्मकार निवासी सुजावल तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0..............आवेदिकागण/रेस्पां0गण

3– बाबूलाल चमार पिता श्री रामजियावन चमार उम्र 65 वर्ष

4– शंकरलाल चमार पिता श्री स्व0 शैलानी चमार उम्र 62 वर्ष पेशा रिटायर्ड कर्मचारी दोनो निवासी गांधीग्राम रामपुर चौरासी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0..................गैरनिगराकारगण/अनावेदक क0 2 एवं 3

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 17/5/2011 प्रकरण क0.........
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 के विरूद्व।

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0

मान्यवर,

अनावेदक क0 1/निगराकार निम्नानुसार निम्न आधारो पर उक्त निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:–

1) यह कि आवेदिकागण/रेस्पां0 क0 1 व 2 तहसीलदार तहसील रघुराजनगर वृत्त रैंगाव तहसील रघुराजनगर जिला सतना के न्यायालय मे दिनांक 17/11/2011 को एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू0रा0सं0 के तहत अपने मुक्त्यारआम के माध्यम से इस आशय का प्रस्तुत किये थे कि मौजा रामपुर चौरासी तहसील रघुराजनगर जिला

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–1520–एक/2012 जिला– सतना

जग्गू चमार विरूद्ध झिंगुरी उर्फ दुअरिया आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
15–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री कुंवर सिंह कुशवाह एवं अनावेदक की ओर से श्री आई.पी. द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर, जिला–सतना के प्रकरण क्रमांक 5/पुर्न./2011–12 में पारित आदेश दिनांक 17–05–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 10–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 15/3/19	